

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5

लखनऊ:: दिनांक:: 31 मई, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य पोषित "प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना" हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प्रसार/69/एग्री जंक्शन योजना/2019-20, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 09-प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में रू० 570.00 लाख एवं 42-अन्य व्यय में रू० 55.00 लाख कुल रू० 625.00 लाख (रू० छः करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की प्राविधानित धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश, बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी है उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए कार्ययोजना में अनुमोदन प्राप्त है। उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। योजना की प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

5- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टेण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31.01.2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था दिनांक 01.04.2013 से किये जाने का निर्णय लिया

*31 मई 2019*  
*31-5-19*

गया है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय। भुगतान एन.ई.एफ.टी./ आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जाय।

7- कृषि निदेशक उ0प्र0 जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का इम्पैक्ट एसेसमेंट कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यों की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

8- योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय।

9- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 09-प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना के मानक मद 27-सब्सिडी एवं 42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)  
विशेष सचिव।

संख्या- 31 /2019/543(1)/12-5-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार द्वितीय/प्रथम - (आडिट /सिविल), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. अपर कृषि निदेशक (प्रसार) कृषि भवन, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
8. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

*Mansu*  
(मंजू लता सिंह)  
उप सचिव।

*Mansu*